<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

अपील डिक्री/टी0ए0/1093/2004/भीलवाडा

मदनलाल पुत्र रामलाल जाति ब्राहमण निवासी गिरडिया हाल आबाद गंगापुर तहसील सहाडा जिला भीलवाडा।

अपीलांट्स....

बनाम

1. गोपाल कृष्ण पुत्र मदनलाल जाति ब्राहमण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा जिला भीलवाडा।
2. बालकृष्ण उर्फ खुबीलाल पुत्र रामनिवास मृतक जरिये वारिसानः–
   2/1– सन्तोषदेवी पत्नी बालकृष्ण उर्फ खुबीलाल
   2/2– यज्ञदत्त पुत्र बालकृष्ण उर्फ खुबीलाल मृतक जरिये वारिसानः–
   2/2/1– अनिता पत्नी यज्ञदत्त शर्मा
   2/2/2– ध्रुव पुत्र यज्ञदत्त शर्मा
   2/2/3– तनुश्री पुत्री यज्ञदत्त शर्मा
   समस्त जाति ब्राहमण निवासी गंगापुर तहसील सहाड़ा भीलवाडा
   2/3– चेतना पुत्री बालकृष्ण उर्फ खुबीलाल पत्नी अंजनी कुमार जाति ब्राहमण निवासी मांडवा तहसील व जिला झुझुनू।

रेस्पो0 ....

<u>खण्डपीठ</u>
श्री आर0डी0मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितिः–
श्रीमति पूनम माथुर, अभिभाषक अपीलांट
श्री योगेन्द्र सिंह, अभिभाषक रेस्पो0

<u>निर्णय</u>

दिनांकः

1– यह द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 224 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा दिनांक 03–01–2004 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी द्वारा एक वाद विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर के समक्ष अन्तर्गत धारा 88, 89, 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत करते हुये निवेदन किया कि ग्राम मैलूणी तहसील सहाड़ा की आराजी खसरा नम्बर 2807/5 रकबा 3 बिस्वा वादी ने दिनांक 21–01–1969 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र मिटटू लाल पुत्र कजोड़ से क्रय की है। उक्त आधार पर वह राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार काश्तकार बना, जमाबन्दी संवत 2036–39 में इसका अंकन भी है। इस भूमि के उत्तर में आराजी संख्या 2807/4 रकबा 3 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल कृष्ण के खातेदारी की है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादी की कुल भूमि 6 बिस्वा थी। इन दोनों आराजीयात के उत्तर में शंकरलाल चौर्डिया का मकान है। जो वर्तमान में चतुर्भुज शर्मा ने खरीद लिया तथा दक्षिण में रामचन्द्र आचार्य का मकान है। वादग्रस्त आराजी के उत्तर में फतेहलाल अग्रवाल की भूमि जो प्रतिवादी गोपाल कृष्ण ने क्रय की है। प्रतिवादी संख्या 1 के ताऊ व प्रतिवादी संख्या 2 के पिता रामनिवास ने उक्त दोनों भूमियों की मांग वर्तमान वादी तथा श्री फतेहलाल अग्रवाल से की। जिसको स्वीकार नहीं करने पर रामनिवास द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 89, 183 ,92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय सहायक जिलाधीश, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया। जिसमें वह राजस्व मण्डल तक असफल रहा। उसके पश्चात ख0न0 2807/4 रकबा 3 बिस्वा भूमि को गोपाल कृष्ण के नाम से क्रय कर ली गयी। परन्तु वादी ने अपनी भूमि विक्रय नहीं की इसलिए उसका कब्जा ख0न0 2807/5 रकबा 3 बिस्वा भूमि पर बना रहा। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य विवादित आराजी बाबत फौजदारी मुकदमा भी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, गंगापुर के समक्ष विचाराधीन रहा है। वादी द्वारा ख0न0 2807/4 के कराये गये संपरिवर्तन आदेश में पडोस गलत अंकित करवा दिये एवं पैमाइश के दौरान भी प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने भू प्रबन्ध कर्मचारियों से मिलकर वादी को उसकी ख0न0 2807/5 की कच्ची पानड़ी भी नहीं देने दी। इस बाबत सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रकरण दर्ज किया गया। जिसे सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा दिनांक 03.4.1984 को स्वीकार करते हुये निर्णय पारित किया कि मौके पर आराजी नंबर 2820/3052 जो बनाया है, उसका रकबा 0.05 एयर है और वादी व प्रतिवादी दोनों का रकबा 3–3 बिस्वा है। वर्तमान में संपूर्ण आराजी गोपाल कृष्ण के नाम पर है। अतः आधा–आधा रकबा दोनों के नाम तरमीम से दर्ज किया जावे। उक्त आदेश की अपील भू प्रबन्ध अधिकारी के

समक्ष प्रस्तुत की गई जिसे भू प्रबन्ध अधिकारी ने अपील स्वीकार करते हुये सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी के आदेश को खारिज किया गया। उक्त आदेश की अपील आयुक्त, भू प्रबन्ध विभाग के समक्ष प्रस्तुत की गयी। आयुक्त भू प्रबन्ध विभाग द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय को खारिज करते हुये प्रकरण जिला कलेक्टर, को पुनः कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। प्रतिवादीगण ने ख0न0 2807/4 जो फतेहलाल अग्रवाल से क्रय की उस विक्रय पत्र में जानबुझकर वादी की आराजी का अंकन नहीं कराया है। अतः वादी को आराजी ख0न0 2807/5 रकबा 3 बिस्वा भूमि का पैमाइश के अनुसार नया नंबर कायम कराया जाकर चालू जामबंदी में वादी के नाम खातेदारी हक में दर्ज कराया जावे व उसे वादी के हक की मिलकीयत घोषित की जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर। प्रतिवादीगण की विधिवत तलबी की गयी। तत्पश्चात दावा एवं जबाव दावा के आधार पर पांच तनकीयात कायम करते हुये। वादी का वाद अपने निर्णय दिनांक 28.11.2002 से डिक्री करते हुये आदेश दिया कि ख0न0 2820/3052 का आधा हिस्सा (दक्षिण भाग) अलग तरमीम करा कर आधे रकबे का वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2002 से व्यथित होकर प्रवितादी/रेस्पो0 गोपाल कृष्ण द्वारा एक अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत की तथा वादी/अपीलांट ने भी एक काउन्टर क्लेम कब्जा दिलाये जाने बाबत न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत किया। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2004 से प्रतिवादी/रेस्पो0 गोपाल कृष्ण की अपील को स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 28.11.2002 निरस्त कर दिया एवं वादी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत काउन्टर क्लेम भी खारिज कर दिया। अपीलीय न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 03.01.2004 से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह द्वितीय अपील मंडल के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस अपील पर सुनी गयी।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित कथनों दोहराते हुये कथन किया कि अपीलीय न्यायालय ने निर्णय पारित करते समय आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी0 के प्रावधानों को नजरअंदाज कर अपना निर्णय पारित किया है। जबकि विचारण न्यायालय ने प्रत्येक तनकी पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का पूर्ण विवेचन करने के पश्चात ही

अपना निर्णय पारित किया है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने तनकी संख्या 1 पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को नजर अन्दाज करते हुये निर्णय एवं डिक्री पारित किया है। तनकी संख्या 1 में वादी/ अपीलांट को यह सिद्ध करना था कि वाद पत्र के साथ संलग्न नक्शे में वर्णित भूमि ए,बी,सी,डी, पैरा संख्या 1 में वर्णित हैं। जिसके भू प्रबन्ध से पूर्व खसरा नम्बर 2807/5 रकबा 3 बिस्वा था, को हाल भू प्रबन्ध में खसरा नम्बर 2820/3052 रकबा 0.05 हैक्टर में सम्मिलित कर लिया। उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिए वादी/अपीलांट द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2036 के खाता संख्या 319 में वादी को खातेदार काश्तकार दर्ज किया जाकर साबिक आराजी नम्बर 2807/5 रकबा 3 बिस्वा भूमि वादी/अपीलांट श्री मदनलाल के नाम खातेदारी में दर्ज है तथा वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे को साबित करने के लिए प्रदर्श 1 (अ) पर विक्रय पत्र तादादी 1275/–रूपये जो विक्रेता मिट्ठूलाल पुत्र कजोड़मल निवासी सहाड़ा द्वारा वादी/अपीलांट के पक्ष में विक्रय पत्र निष्पादित किया, जिसमें विवादित भूमि के उत्तर में प्रतिवादी/ रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा क्रय की गई आराजीयात के पूर्व मालिक श्री फतेहलाल अग्रवाल निवासी गणेशपुरा का पड़ौस अंकित है, क्योंकि वादी द्वारा विवादित आराजी दिनाक 27.1.69 को क्रय की गई उस क्रय की तिथि के दिन प्रतिवादी/ रेस्पो0 संख्या 1 विवादित आराजी में ना तो कहीं खातेदार था ना ही आस–पास पड़ौसी ही था तथा उस वक्त आराजी खसरा नम्बर 2807/4 का खातेदार फतेहलाल अग्रवाल था। इसलिए उक्त नजरी नक्शे को प्रमाणित करने के लिए प्रदर्श 7 व प्रदर्श 8 भी प्रस्तुत किये। जिनसे स्पष्ट था कि आराजी खसरा नम्बर 2807/5 की भूमि वादी/अपीलांट द्वारा क्रय की गई एवं क्रय करने के पश्चात् वादी उस पर काबिज हुआ तथा साबिक आराजी खसरा नम्बर 2807/5 व 2807/4 पास–पास होकर दक्षिण में वादी /अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 2807/5 तथा उत्तर में प्रतिवादी की आराजी खसरा नम्बर 2807/4 स्थित थी। दोनों खसरा नम्बर 2807/5 व 2807/4 का एक साथ मिलकर नवीन नम्बर 2820/3052 बनाया गया जिसका रिकार्ड भी भिन्न है। इसका वास्तविक रकबा मौके पर $4^{1/}_{2}$ से 0.05 एयर होता है। विचारण न्यायालय ने समस्त तथ्यों यथा सहायक भूप्रबन्ध अधिकारी के निर्णय, भू–मापक की रिपोर्ट ध्यान में रखे हुये तनकी वादी/अपीलांट के पक्ष में निर्णित की। जिसको अपीलीय न्यायालय रिकार्ड पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किये बिना सरसरी तौर प्रतिवादी–रेस्पो0 की अपील स्वीकार कर वादी / अपीलांट का काउन्टर क्लेम निरस्त कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि

परीक्षण न्यायालय ने तनकी संख्या 3 जो क्षेत्राधिकार से सम्बन्धित तनकी थी। उक्त तनकी का निर्णय प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध किया था तथा उन्होने यह स्पष्ट निर्णय दिया कि भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई त्रुटि को घोषणात्मक वाद के द्वारा ही सुधार किया जा सकता है तथा खसरा नम्बर 2807/4 जो कि प्रतिवादी–रेस्पो0 का है, जिसे उसने आबादी में भूमि रूपांतरण कराया है। परन्तु वादी/अपीलांट का वाद केवल मात्र खसरा नम्बर 2807/5 के सम्बन्ध में है, इसलिए खसरा नम्बर 2807/5 का रूपान्तरण, आबादी या अन्य प्रयोजनार्थ नहीं होने के कारण वादी–अपीलांट का वाद राजस्व न्यायालय के श्रवणाधिकार का है। किन्तु अपीलीय न्यायालय ने अवैधानिक रूप से वाद सुनने का अधिकार नहीं मानकर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिये जो निरस्तनीय है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलीय न्यायालय ने वादी/ अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आर्डर 41 रूल 22 जा.दी. बावत् क्रोस ओब्जेक्शन को बिना कोई कारण बताये खारिज कर दिया। वादी–अपीलांट ने अपने क्रोस ओब्जेक्शन में यह अंकित किया कि वादी–अपीलांट द्वारा दावे में विवादग्रस्त भूमि का कब्जा दिलाये जाने बाबत् अनुतोष चाहा है, परन्तु परीक्षण न्यायालय ने केवल अतिक्रमण को हटाये जाने की डिक्री पारित की जबकि वादी/अपीलांट को कब्जा दिलाये जाने की डिक्री पारित करनी चाहिए थी, जिसका वादी/अपीलांट हकदार था। किन्तु उक्त बिन्दु पर परीक्षण न्यायालय ने कोई निर्णय नहीं दिया। इसलिए वादी–अपीलांट द्वारा विद्वान अपीलीय न्यायालय के समक्ष क्रोस ओब्जेक्शन फाईल किये थे, किन्तु अपील न्यायालय ने उक्त क्रोस ओब्जेक्शन को खारिज करने में अपने में निहित क्षेत्राधिकार का गलत प्रयोग किया है जो निरस्तनीय है। बहस के अंत में विद्वान अभिभाषक ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित सिविल अपील संख्या 2018/26491, 2009/1117 के निर्णय की प्रति प्रस्तुत करते हुये अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी ख0न02807/4 रकबा 3 बिस्वा भूमि के नये नंबर 2820/3052 बने है तथा उक्त भूमि रेस्पो0/प्रतिवादी ने दिनांक 21.01.1969 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की है एवं क्रय के पश्चात उक्त भूमि रेस्पो0/प्रतिवादी के खाते में अंकित है। विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया कि अपीलांट/वादी ने जिस खसरा नम्बर 2807/5 की 3 बिस्वा भूमि को क्रय करना बताया है। उसका तीसरी बार विक्रय होने के पश्चात अपीलांट/वादी ने क्रय किया। उक्त भूमि का ना तो राजस्व अभिलेख उपलब्ध है और ना ही

नक्शा ट्रैस में इसको दर्शाया गया है। मौके पर इस भूमि का क्या अस्तित्व है इस संबंध में राजस्व अभिलेख में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। विद्धान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पर रेस्पो0/प्रतिवादी वर्ष 1969 से बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उसने उक्त भूमि का सक्षम अधिकारी से आबादी में सम्परिवर्तन कराने के पश्चात निर्माण कार्य भी कर लिया है। इस आधार पर अपीलांट/वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावा श्रवणाधिकार से परे है। क्योंकि विवादित भूमि का कृषि भूमि से संपरिवर्तन होने के पश्चात भूमि की किस्म आबादी भूमि हो चुकी है और आबादी भूमि पर राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं है एवं आराजी पर धारा 16क परिसीमिन लागू होने के कारण इस भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। विद्धान अभिभाषक ने यह भी तर्क दिया कि विवादित आराजी पर अपीलांट/वादी का कोई स्वत्व था तो भूमि रूपान्तरण की कार्यवाही के दौरान उसे सक्षम न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करना चाहिये था अथवा रूपान्तरण आदेश को चुनौती देकर निरस्त करवाना चाहिये था। परन्तु उसके द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई। विद्धान अभिभाषक ने तर्क दिया कि विवादित भूमि मात्र विक्रय पत्र के आधार पर एक से द्वितीय एवं द्वितीय से तृतीय क्रेता के हाथ में चलती रही। इसलिये अन्तिम विक्रय पत्र जो अपीलांट/वादी के पास उपलब्ध है उसके आधार पर प्रमाणित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त विक्रय पत्र में अंकित भूमि की वास्तविक स्थिति क्या है? तथा क्या उक्त भूमि भौतिक तौर पर नक्शे में भी उपलब्ध है या भी नहीं। इस समस्त परिस्थितियों के मध्य विचारण न्यायालय ने निर्णय पारित करने में वैधानिक एवं तथ्यात्मक त्रुटिकारित की है जिसे अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय से अपास्त किया है।

6. उभयपक्ष के विद्धान अभिभाषक की बहस मनन किया एवं पत्रावली, उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का गहनतापूर्वक अध्ययन किया।

7. पत्रावली व उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से पाया गया कि वाद में अंकित आराजी ख0न0 2807 जिसका कुल रकबा 6 बिस्वा है। भू प्रबन्ध के दौरान इस खसरा नं0 2807 के दो नये खसरा नं0 क्रमशः 2807/4 व 2807/5 रकबा 3-3 बिस्वा पैमूद किये गये। इस प्रकार विवादित आराजी कुल रकबा

6 बिस्वा था। जिसमें 3 बिस्वा भूमि पर कब्जा प्रतिवादी संख्या 1 गोपाल कृष्ण द्वारा क्रय करने से पूर्व उस भूमि के मालिक फतेहलाल का था तथा 3 बिस्वा भूमि पर कब्जा वादी मदनलाल व पूर्व मालिक मिठूलाल का था। विचारण न्यायालय के समक्ष विवादित आराजी 2807/5 थी जबकि आराजी 2807/4 के संबंध में कोई विवाद नहीं था। चूंकि आबादी का पट्टा आराजी संख्या 2807/4 का मिला हुआ है जबकि आराजी संख्या 2807/5 संवत 2036 तक राजस्व रिकार्ड में बतौर कृषि भूमि दर्ज थी। इस स्थिति में विवादित आराजी कृषि भूमि ही मानी जावेगी। भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गयी इस त्रुटि को घोषणा के दावे से ही सुधारा जा सकता है। भू प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के किसी काश्तकार के खातेदारी अधिकार को विलोपित कर दिया। विवादित आराजी 2807/5 का रूपान्तरण आबादी या अन्य प्रयोजनार्थ नहीं हुआ है। यहां यह उल्लेखनीय है कि भू प्रबन्ध के पूर्व ख0न0 2807/5 का रकबा 3 बिस्वा था, को हाल भू प्रबन्ध ख0न0 2820/3052 रकबा 0.03 ऐयर है, जिसका वास्तविक रकबा 0.05 ऐयर प्रमाणित होने से उक्त खसरे का आधा हिस्सा दक्षिणी भाग अलग तरमीम करवाकर वादी/अपीलांट अपने खाते में दर्ज कराने का अधिकार रखता है। अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में केवल मात्र यह आधार लिया है कि विवादित आराजी का संपरिर्वतन हो गया है इसलिए वाद राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में ना होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है। अपीलीय न्यायालय को चाहिए था कि वह प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा विरचित की गयी प्रत्येक तनकी का खण्डन करते हुये निर्णय पारित करते परन्तु उनके द्वारा किसी भी तनकी का खण्डन नहीं किया गया। विधि का सुस्थिापित सिद्धान्त है कि यदि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय से भिन्न मत प्रकट करता है तो उसे आदेश 41 नियम 31 सी0पी0सी की पालना करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करना चाहिए। अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय राजस्व रिकार्ड का विवेचन व परीक्षण किये बिना किया जाना प्रतीत होता है। अतः हमारी सुविचारित राय में प्रकरण अपीलीय न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है कि वह समस्त राजस्व रिकार्ड का विवेचन व विश्लेषण करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करे।

7. परिणामतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है तथा अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.01.2004 अपास्त जाता है। प्रकरण इस निर्देश के साथ अपीलीय न्यायालय भू प्रबन्ध

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाडा प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेजात व साक्ष्यों को पूर्ण विवेचन व विश्लेषण करते हुये तनकीवार निर्णय पारित करे। निर्णय प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख नियमानुसार भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर.डी0मीणा)
सदस्य